पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा 13 Sub-District Labs under water quality monitoring and surveillance की योजना का आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06 सितम्बर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थेः–

1. श्री नितेश कुमार झा, सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. डॉ0 वी0 षणमुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री एस0के0 शर्मा, सी0जी0एम0, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड।
4. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
5. श्री डी0डी0 डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. श्री नमित रमोला, अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :– जल जीवन मिशन के जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी घटक के अन्तर्गत पेयजल की वांछित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में 13 उप–खण्डीय जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) से मान्यता प्राप्त कराये जाने, प्रयोगशालाओं हेतु उपकरणों का क्रय एवं रखरखाव, प्रयोगशाला भवन का किराया, पेयजल नमूनों के परीक्षण हेतु विभिन्न रसायनों एवं उपभोग्यों के क्रय, प्रयोगशालाओं का संचालन, पेयजल नमूनों के परिवहन हेतु वाहन प्रबन्धन तथा जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के आधुनिकरण/उन्नयन हेतु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना गठित की गयी है।
2. **भूमि की उपलब्धता** :– विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना हेतु भूमि उपलब्ध है।
3. **योजना प्राविधान** :– योजना में निम्नानुसार प्राविधान प्रस्तावित किये गये है :–
   1. Procurement of equipments/ instruments
   2. Maintenance of equipments / instruments
   3. Chemicals/reagent/glassware / consumables
   4. Hiring of outsourced human resources
   5. Hiring of vehicles for transportation of water samples
   6. NABL accreditation process (consultant fee, audit cost, application fee and annual fee)
   7. Modernization / upgradation of labs
4. **व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु राज्य योजना आयोग का अभिमतः–**
   4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय समिति की बैठक सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 10.12.2020 में सम्पन्न हुई जिसमें योजना को व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।
   4.2 जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य को आवंटित किये जाने वाले कुल बजट की 2 प्रतिशत तुल्य धनराशि को जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यो हेतु उपयोग किये जाने का प्राविधान है। उक्त बजट के अन्तर्गत प्राक्कलन प्रस्तावित है।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

4.3 राज्य में उप–खण्डीय प्रयोगशालाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :–
1– मसूरी 2– विकासनगर 3– ऋषिकेश 4– सतपुली 5– कोटद्वार 6– द्वारीखाल, 7– देवप्रयाग, 8– कर्णप्रयाग 9– बडकोट 10– रानीखेत 11– रामनगर 12– हल्द्वानी 13– डीडीहाट।

4.4 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा जल परीक्षण कार्यो को दक्षता पूर्ण सम्पादित किया जाना आवश्यक है, जिसके अनुसार प्राक्कलन में प्रयोगशाला संचालन एवं रखरखाव, रसायनों/उपभोग्यों /उपकरणों का क्रय एवं एन0ए0बी0एल0 से मान्यता प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्यो का प्राविधान किया गया है।

4.5 प्रयोगशालाओं का संचालन विभाग द्वारा UCOST (Uttarakhand State Council for science and technology) के साथ संयुक्त रूप से गठित पी0एम0यू0 के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

4.6 अवगत कराया गया कि पी0एम0यू0 द्वारा नियुक्त लैब कैमिस्ट, लैब असिस्टेंट, सैम्पल कलेक्टर द्वारा जल परीक्षण कार्यो का सम्पादन कर, परिणामों को भारत सरकार की वेबसाइट पर भी नियमित रूप से अपलोड किया जायेगा एवं प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह मुख्यालय को भी प्रेषित की जायेगी।

4.7 योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो के निष्पादन हेतु 09 माह की समय सीमा प्रस्तावित है।

4.8 आगणन में लिये गये मदों की दरें एस0ओ0आर0/ डी0एस0आर0 अथवा अन्य अनुमोदित दरों से आच्छादित नहीं है, बाजार से प्राप्त कोटेशन के आधार पर ली गयी है। अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक दरों का सक्षम स्तर से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होगा।

4.9 आगणन में राज्य के 13 उप–खण्डों हेतु 19 मानको के परीक्षण हेतु जनपदीय प्रयोगशालाओं के संचालन एवं रख–रखाव हेतु प्रस्तावित लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

S. No.	Particulars	Amount (Rs)
1	Procurement of equipments/ instruments	16279209.00
2	Maintenance of equipments / instruments	1187020.00
3	Chemicals/reagent/glassware/ consumables	16303000.00
4	Hiring of outsourced human resources	9301800.00
5	Hiring of vehicles for transportation of water samples	60000.00
6	NABL accreditation process (consultant fee, audit cost, application fee and annual fee)	3676907.40
7	Modernization / upgradation of labs	14327958.00
	Total	**61135894.40**
	Say in lakh	**611.36 lakh**

परियोजना की कुल लागत :– रू0 611.36 लाख

5. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यो को निर्धारित मानकों के अनुसार क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये।

क्रमशः पृष्ठ–3/–

उपरोक्त के आलोक में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार–4.9 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि** रू0 611.36 लाख को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

5.1 योजना कार्यो पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.2 आगणन में लिये गये मदों की दरें एस0ओ0आर0 / डी0एस0आर0 अथवा अन्य अनुमोदित दरों से आच्छादित नहीं है, बाजार / GEM से प्राप्त कोटेशन के आधार पर ली गयी है। अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक दरों का सक्षम स्तर से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होगा।

5.3 योजना में प्राविधानित Plant and Equipment की आपूर्ति हेतु Cost effectiveness तथा Energy efficient system का विशेष ध्यान दिया जाय।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1–5.3 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या ।।32/750/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/ पेयजल/2021–22
देहरादूनः दिनांकः 16, सितम्बर, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
सचिव (प्रभारी)